

न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र० क० एक/निगरानी/पन्ना/भू-रा/2017/ 1/आराजी/पन्ना/शहरा/श०न/3300

(153)

- 1-ओमकार नारायण मिश्रा
 - 2-सुरेश मिश्रा
 - 3-नरेन्द्र मिश्रा पुत्रगंग स्व०रामाश्रय मिश्रा
 - 4-भगवत दीन मिश्रा पुत्र जागेश्वर मिश्रा
 - 5-नीरज मिश्रा पुत्र स्व०द्वारकाप्रसाद मिश्रा
- सभी निवासी- ग्राम रमखिरिया, तहसील व जिला पन्ना, म०प्र०

----- आवेदकगण

विरुद्ध

- 1- दयाराम तनय भगवत दीन ओगरे निवासी ब्रजपुर, तहसील व जिला पन्ना म०प्र०
 - 2- मध्यप्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार पन्ना
- अनावेदकगण

श्री 2 राजा व मिश्रा द्वारा
14/9/17

व
14-9-17

12-25-9-17

14/9/17

श्री वरदाजी 14/9/17

यह निगरानी आवेदन म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार पन्ना तहसील व जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 38/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 27.06.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

- 1- यह कि, अनावेदक द्वारा तहसीलदार पन्ना के न्यायालय में आराजी नम्बर 351/1, 352, 353/1, 354/1, रकवा क्रमशः 0.

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

२

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2017/3300

ओमकार विरूद्ध दयाराम व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार पन्ना के प्रकरण क्रमांक 38/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।	<p>(आर.के. जैन) 18.1.19 सदस्य</p>